न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर) राज0
पीठासीन अधिकारी रघुनाथ खटीक आर .ए.एस

कदमा नं 134/2013

उनवान

महमूद पुत्र उमराव जाति मेव निवासी ग्राम माजरा हुजरा तह पहाड़ी

--सायल

बनाम

1 रसीद पुत्र नूरमौहम्मद

2 फकरू पुत्र नूरमौहम्मद जाति मेव निवासीयान ग्राम माजरा हुजरा गाधानेर तहसील पहाड़ी ।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील पहाड़ी (भरतपुर)

--गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212आर0टी0एक्ट

उपस्थित ,

श्री सतीश बुन्देला एडबोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक 04/12/2017

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212आर0टी0एक्ट इस आशय के साथ पेश किया की आराजी ख.नं 810/0.74 वाके ग्राम गाधानेर तहसील पहाड़ी में स्थित है । आराजी पूर्व में गैर सायल सं 1व2 के दादा चंद्रभान के कब्जे कास्त खातेदारी की आराजी थी जिसको उक्त चंद्रभान ने पिता सायल उमराव आराजी मुतदाविया की एक मुस्त राशि लेकर सन 1947 में हमेशा हमेशा के लिए काश्त करने को दे दिया था तभी से उमराव आराजी मुतदाविया को वहैसियत खातेदार कास्तकार के रूप में अपने जीवन काल तक कास्त करता रहा था । उमराव का देहांत हो गया है । उमराव के देहांत हो जाने के पश्यात सायल आराजी को वहैसियत खातेदार कास्तकार काबिज रहकर कास्त करता चला आरहा है । आराजी पर सायल ने फसल बो रखी है जो मौके पर सरसब्ज खडी है । दादा गैर सायल सं 1 व 2 चंद्रभान का भी देहांत हो गया है और उसके देहांत हो जाने के पश्यात आराजी पर नूरमोहम्मद को वहैसियत वारिस चंद्रभान आराजी पर खातेदार गलत तरीके से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया किन्तु पिता गैरसायल सं 1 1 व 2 नूरमोहम्मद के नाम राजस्व रिकार्ड खातेदारी का इन्द्राज होने के कारण पिता प्रतिवादी सं 1 व 2 नूरमोहम्मद ने सायल से आराजी मुतदाविया पर कब्ज़ा काश्त नहीं नहीं होने के कारण एवं कोई सम्बन्ध आराजी मुतदाविया से नहीं था तो नूरमोहम्मद ने ने आराजी के एवज में 1.50 लाख रु लेकर करीब 20 साल पूर्व आराजी का कब्ज़ा सायल को सौप दिया था तथा अपने सम्बन्ध आराजी से हमेशा हमेशा के लिए तर्क कर लिये। गैरसायलान संख्या 1 व 2 गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतदाविया मुतदाविया का रहन वय मुन्तकिल करना चहाते है। अतः गैरसायलान को ता फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जावे की वे आराजी मुतदाविया को किसी दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नही करे राजस्व एवं रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी

गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान बावजूद सूचना के न्यायालय उपस्थित नही आये। गैरसायलान के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस वकील सायल सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील सायल का मनन किया। सायल का उक्त आराजी में हक़ बनता है या नहीं यह दावे में तय होगा किन्तु प्रथम द्रष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में प्रतीत होता है और आराजी खुर्द बुर्द होती है तो अपूर्णीय क्षति भी सायल को होगी अतः प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को ता फैसला मुकदमा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह आ0ख0न0 810/0.74 बाके ग्राम गाधानेर तहसील पहाडी की बाबत राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे एवं आराजी को रहन वय मुन्ताकिल न करे।

निर्णय आज दिनांक 4.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रघुनाथ खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी भरतपुर